झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरुवार, दिनांक :– 27 फाल्गुन 1942 (श0) / 18 मार्च, 2021 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
579.	क–07	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	कब्रिस्तानों की घेराबंदी।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21
580.	ज0–43	श्री रामदास सोरेन	पम्प हाउस चालू करना।	जल संसाधन	04.03.21
581.	ज–17	श्री नलिन सोरेन	पटवन की सुविधा देना।	जल संसाधन	02.03.21
582.	ज–42	श्रीमती सबिता महतो	ग्रामों में सुविधा देना।	जल संसाधन	04.03.21
583.	ज–29	श्री लोबिन हेम्ब्रम	बाँध का निर्माण।	,, ,,	02.03.21
584.	क–09	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	कब्रिस्तानों की घेराबंदी।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21
585.	मस–02	श्री अमित कुमार मंडल	पेंशन राशि का भुगतान।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	02.03.21
586.	ज–39	श्री उमाशंकर अकेला	लिफ्ट एरिगेशन की व्यवस्था।	जल संसाधन	04.03.21
* 587.	ज–46	श्री इन्द्रजीत महतो	सिंचाई की व्यवस्था।	जल संसाधन	08.03.21
588.	ज–07	श्री किशुन कुमार दास	जमीन वापस करना।	जल संसाधन	02.03.21
589.	जा–15	सुश्री अम्बा प्रसाद	विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	02.03.21
590.	ज–41	श्री आलोक कु0 चौरसिया	बराज का निर्माण।	जल संसाधन	04.03.21

* विभाग के पत्रांक- 165/166 दिनांक-16.03.21 द्वारा पेयजल स्वच्छता तथा खान एवं भूतत्व विभाग को स्थानांतरित

✓ विभाग के पत्रांक- 1611 दिनांक-16.03.21 द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित।

01	02	03	04	05	06
591.	ज-45	श्री भूषण बाड़ा	अधूरा कार्य पूर्ण कराना।	जल संसाधन	04.03.21
592.	ज-49	श्री वैद्यनाथ राम	जाँच एवं कार्य पूर्ण कराना।	,, ,,	11.03.21
593.	कृष-17	सुश्री अम्बा प्रसाद	अनुदान राशि देना	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.21
594.	ज-37	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	02.03.21
595.	कृष-15	श्रीमती ममता देवी	सुविधा मुहैया कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.03.21
596.	ज-32	श्री कुशवाहा डॉ० शशिभूषण मेहता	योजनाओं को पूर्ण करना।	जल संसाधन	02.03.21
597.	कृष-19	श्री रामचन्द्र सिंह	जाँच एवं दोषी पर कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.21
598.	ज-48	श्री कमलेश कुमार सिंह	नहर का निर्माण कराना।	जल संसाधन	08.03.21
599.	कृष-14	श्री नलिन सोरेन	पोल्ट्री फॉर्म/डेयरी का निर्माण	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.03.21
600.	कृष-11	श्री अमित कुमार यादव	प्रभार देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.03.21
601.	कृष-21	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	08.03.21
602.	क-12	श्री रामदास सोरेन	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	अनु०जाति,अनु० जनजाति,अल्प० पिछड़ा वर्ग कल्याण	04.03.21
603.	खा-04	श्रीमती सीता सोरेन	समरूपता लाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले।	02.03.21
604.	जा-20	श्री सरयू राय	बिजली आपूर्ति करना।	ऊर्जा	04.03.21
605.	जा-18	श्री उमाशंकर अकेला	गाँव का विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	04.03.21
606.	ज-23	श्री अनंत कुमार ओझा	स्वीकृति देना।	जल संसाधन	02.03.21
607.	जा-22	श्री कोचे मुण्डा	बिजली पहुँचाना।	ऊर्जा	08.03.21
608.	कृष-20	श्री इन्द्रजीत महतो	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	08.03.21
609.	ज-14	श्रीमती पुष्पा देवी	सिंचाई सुविधा देना।	जल संसाधन	02.03.21
610.	कृष-18	श्री आलोक कु० चौरसिया	मानदेय में बढ़ोतरी	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	04.03.21
611.	ज-40	श्री भूषण बाड़ा	मरम्मति एवं निकास द्वार का निर्माण।	जल संसाधन	04.03.21
612.	क-10	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	जाहिर स्थान की घेराबंदी।	अनु०जाति,अनु० जनजाति,अल्प० एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21

कृ०पृ०30 ...../-

01	02	03	04	05	06
613.	ज-38	श्री विकास कुमार मुण्डा	फार्म को कालीसूची में डालना	जल संसाधन	02.03.21
614.	कृष-12	डॉ0 लम्बोदर महतो	अनियमितताओं की जाँच एवं कार्रवाई।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.03.21
615.	जा-19	श्री सरयू राय	बिजली आपूर्ति करना।	ऊर्जा विभाग	04.03.21
616.	क-05	श्री कोचे मुण्डा	मानदेय में वृद्धि।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21
617.	जा-12	श्री भानू प्रताप शाही	पावर ग्रीड का निर्माण।	ऊर्जा विभाग	02.03.21
618.	ज-47	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	डैम का मरम्मति।	जल संसाधन	08.03.21
619.	जा-06	श्री विनोद कुमार सिंह	अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना।	ऊर्जा	02.03.21
620.	ज-19	श्री अनंत कुमार ओझा	सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	02.03.21
621.	ज-06	श्री किशुन कुमार दास	कैनाल को विस्तारित करना।	जल संसाधन	02.03.21
622.	ज-22	श्री अमित कुमार मण्डल	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	02.03.21
623.	ज-30	श्री अमित कुमार यादव	कार्य प्रारंभ करना।	जल संसाधन	02.03.21
624.	ज-31	श्री कमलेश कुमार सिंह	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	02.03.21
625.	ज-10	डॉ0 इरफान अंसारी	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	02.03.21
626.	जा-09	डॉ0 इरफान अंसारी	TRW स्थापित करना।	ऊर्जा	02.03.21
627.	ज-5	श्री निरल पुरती	नहर का जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	02.03.21
628.	मस-01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	जीर्णोद्धार कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.02.21
629.	जा-21	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	विद्युतीकरण करना।	ऊर्जा	08.03.21
630.	ज-04	श्री निरल पुरती	जीर्णोद्धार करना।	जल संसाधन	02.03.21
631.	ज-36	श्री रामचन्द्र सिंह	स्वीकृति प्रदान करना।	जल संसाधन	02.03.21
632.	ज-01	श्री बिरंची नारायण	कार्य प्रारम्भ करवाना।	जल संसाधन	17.02.21
633.	ज-13	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	कार्य प्रारम्भ कराना।	जल संसाधन	02.03.21
634.	क-11	श्री मनीष जायसवाल	वज पट्टा देना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02.03.21

कृ0पृ0उ0 ...../-

01	02	03	04	05	06
635.	कृष-06	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	अनुदान देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.03.21
636.	ज-59	श्री केदार हजरा	निविदा प्रकाशित कराना।	जल संसाधन	11.03.21
637.	कृष-16	श्री विकास कुमार मुण्डा	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	02.03.21
638.	ज-44	श्री राज सिन्हा	जवाबदेही तय करना।	जल संसाधन	04.03.21
639.	ऊ-01	श्री बिरंची नारायण	पावर ग्रीड चालू कराना।	ऊर्जा विभाग	17.02.21
640	ज-08	श्री विनोद कुमार सिंह	कार्य प्रारम्भ कराना।	जल संसाधन	02.03.21

रॉंची,
दिनांक- 18 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-05/2020- 1315 /वि0स0,रॉंची,दिनांक- 15/3/21।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
18/3/2021
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-05/2020- 1315 /वि0स0,रॉंची,दिनांक- 15/3/21

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय** एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
18/3/2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-05/2020- 1315 /वि0स0,रॉंची,दिनांक- 15/3/21

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
18/3/2021
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

15/3/2021

शंकर/-

(579)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–882 दिनांक–14.09.2020 द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी योजना हेतु प्राक्कलन भेजी गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय तक कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू नहीं हो पाई है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2021–22 में सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राशि की उपलब्धता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक
एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–6/वि०स०प्र०–05/2021 740 राँची, दिनांक– 12/3/21

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–801 दिनांक–02.03.2021 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/2021
(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

580

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशीला विधान सभा क्षेत्र स्वर्णरेखा परियोजना के चांडिल बाँयी नहर धालभूमगढ़ प्रखण्ड के मौजा रावताड़ा स्थित रघुनाथ मुर्मू चौक के बगल नहर पर सिंचाई सुविधा हेतु पम्प हाउस का निर्माण कराई गई थी.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पम्प हाउस से एक सिंचाई नाली मोहिसाधारा से निश्चिन्तपुर तक तथा दूसरा सिंचाई नाली मोहिसाधारा से दुधपोसी–खड़ियाभोल तक बनाई गई है.	पम्प हाउस से दो सिंचाई नाला महिषाधारा से निश्चितपुर एवं महिषाधारा से दूधापोषी राउताड़ा सिंचाई नाला बनाने का प्रस्ताव है। सिंचाई नाला निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई की गई है, जो धारा–16 में है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त पम्प हाउस में ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन सहित सभी सुविधाएँ होने के बावजूद उक्त क्षेत्र के लोगों को अबतक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है.	ट्रान्सफार्मर से पम्प हाउस तक विद्युत कनेक्शन हेतु कार्रवाई प्रक्रिया में है। इसके लिये विद्युत विभाग को आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित पम्प हाउस को चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही सिंचाई नाली का निर्माण कराया जाएगा तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त होते ही पम्प हाउस से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–43/2021 – 1659. /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 936 वि०स० दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोर्के रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

581

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखंड-रानेश्वर अनु0ज0जा0 बाहुल्य क्षेत्र है तथा अधिकतम् आबादी का मुख्य पेशा खेती व मजदूरी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखंड रानेश्वर के ग्राम-वृन्दाबनी /मीटरा के बिच अर्जुनबांध 10-दस वर्ष पूर्व टुट कर बह गया था, जिससे पंचायत वृन्दाबनी व पं0 बासकुकी के किसान पटवन से वंचित है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग, राँची के ज्ञापांक-6 / ज0स0वि-20(II0 67 / 2018-3080 / राँची दिनांक- 17.07.18 सिंचाई योजनाओं का चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त अर्जुन बांध जीर्णोद्धार कार्य शुरू कराकर किसानों को पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रश्नगत योजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में अनुसूचित दर के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नये अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरांत प्राक्कलन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। तत्पश्चात् बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए आगामी वर्षों में सरकार योजना के जीर्णोद्धार का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6 / ज०सं०वि०-20-तारां0-31 / 2021 / 1642 / राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-777 दिनांक-02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्रीमती सबिता महतो, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा परियोजना के चाण्डिल बाँध निर्माण में विस्थापित ग्रामों की संख्या 116 है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विस्थापित 116 ग्रामों का भू–अर्जन के फलस्वरूप 90 के दशक से ही कभी आर०एल० मीटर तो कभी राशि का अभाव बताकर मुआवजा का भुगतान लंबित रखा गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। चाण्डिल बाँध से प्रभावित 116 ग्रामों के भू–अर्जन में घोषित पंचाट के आधार पर कुल 19115 परिवार चिन्हित करते हुए उनमें से 13509 परिवारों को विकास पुस्तिका उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 5606 परिवारों को कार्य योजना तैयार कर सुवर्णरेखा परियोजना अन्तर्गत गठित विकास पुस्तिका निर्गमन समिति द्वारा मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रभावित विस्थापितों को पुनर्वास की सुविधाएँ मुहैया करायी जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि चाण्डिल बाँध से विस्थापित कुल–116 ग्रामों में विस्थापन के कारण राज्य योजना/विधायक निधि योजना के तहत् कोई भी विकास कार्य सरकार द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है,	चांडिल जलाशय के रूपांकित क्षमता तक जल संग्रह हेतु डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को निर्धारित मुआवजा देकर अन्य स्थलों पर आवासित किया जा रहा है। डूब क्षेत्र में पानी जमा होने पर इस क्षेत्र में कराये गये कार्य की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी। अतः डूब क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में आर०एल० मीटर की बाध्यता को समाप्त करते हुए चाण्डिल बाँध से विस्थापित सभी ग्रामों के लोगों को मुआवजा भुगतान एवं अनुदान की राशि और सभी ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं एवं विकास कार्यों को करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	लोकहित, परियोजना हित एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में चरणबद्ध रूप से जलाशय के जलस्तर को बढ़ाते हुए विस्थापितों को क्रमबद्ध रूप से सभी मुआवजा का भुगतान किये जाने का कार्यक्रम है। वर्तमान में प्रथम चरण में 183 मीटर के लेवल तक विस्थापितों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत सभी मुआवजा भुगतान पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इसके पश्चात जलाशय का जलस्तर 185 मीटर तक ले जाने के फलस्वरूप मुआवजा का भुगतान मार्च 2023 करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–42/2021 – 1664 /राँची, दिनांक 16/03/21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 941 वि०स० दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, साउिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड मंडरो के गहरा पंचायत के अन्तर्गत गोसायचक नाला (रामनी नदी) में पूर्व निर्मित सिंचाई डैम 10 वर्षों पूर्व टूट चुका है,	स्वीकारात्मक। वर्णित स्थल पर विभाग द्वारा बाँध का निर्माण नहीं कराया गया है। आस–पास के ग्रामीणों से पूछताछ करने के क्रम में ज्ञात हुआ है कि इस स्थल के पास नाला पर कच्चा बाँध निर्मित था, जो कई वर्ष पूर्व में ही टूट चुका है एवं वर्त्तमान में इसका कोई प्रमाण स्थल पर नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि सिंचाई बाँध (डैम) के टूट जाने के चलते 22–मौजा के किसानों को सिंचाई नहीं मिल पा रही है,	अस्वीकारात्मक। गोसायचक नाला पर वर्णित बाँध स्थल के अपस्ट्रीम में 01 कि०मी० के अंदर चेक डैम निर्मित है तथा इस स्थल के डाउनस्ट्रीम में लगभग 1.50 कि०मी० के बाद बड़ा लक्ष्मी ग्राम के पास भी एक चेक डैम निर्मित है। बड़ा लक्ष्मी ग्राम के पास निर्मित इस चेक डैम का पानी लगभग 01 कि०मी० तक नाले में जमा है तथा कई स्थानों पर पम्प द्वारा सिंचाई भी किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि सिंचाई बाँध (डैम) का निर्माण कराया था। टूट जाने के चलते उसका आकार प्रत्येक वर्ष बढ़ता चला जा रहा है,	वर्णित स्थल पर गोसायचक नाला की गहराई लगभग 30 फीट, सतह की चौड़ाई (Bed width) लगभग 35 फीट एवं उपर की चौड़ाई (Top width) लगभग 75 फीट है। बरसात के समय आस–पास के पहाड़ो का पानी तेजी से आने के कारण वर्णित स्थल के आस–पास कटाव एवं मिट्टी क्षरण से नाले की गहराई ज्यादा हो गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थल पर सिंचाई बाँध (डैम) का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रस्तावित स्थल पर संभाव्यता पाये जाने पर, बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए सिंचाई बाँध का निर्माण कराने के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

5

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–35/2021 – 1641 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 779 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मौनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

584

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-क-09 का उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र०सं०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम (झरिया तथा सिन्दरी अंचल) धनबाद अन्तर्गत पाथरडीह ईदगाह मोहल्ला, जेलगोरा (बरारी) जहाजटांड़ (भौंरा) बागडीगी (लोदना) तथा होरलाडीह में कब्रिस्तानों का घेराबंदी कार्य अति आवश्यक है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाथरडीह ईदगाह मोहल्ला कब्रिस्तान का घेराबंदी कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि से प्रारम्भ कराया गया तथा शेष आवंटन उपलब्ध कराए जाने पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना को पूर्ण करा लिया गया है। अन्य स्थानों का प्रस्ताव/प्राक्कलन प्राप्त नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित स्थानों पर कब्रिस्तानों का घेराबंदी कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	क्षेत्रीय संतुलन एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-5/वि०स०प्र०-04/2021 742

राँची, दिनांक- 12/3/21

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-802 दिनांक-02.03.2021 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/2021

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(585)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–02 का उत्तर।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में विगत पाँच महीने से बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांगों को विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पेंशन पर आश्रित लाभुकों को गुजरबसर करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चुनावी घोषणा के तहत झारखण्ड सरकार ने वृद्धा पेंशन ढ़ाई हजार (2500) प्रतिमाह करने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में की थी, जो अब तक नहीं हो पाया है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अपनी चुनावी वादे के अनुरुप वृद्धा पेंशन की राशि ढ़ाई हजार प्रतिमाह कर विगत पाँच महिने से बंद वृद्धा एवं विकलांग पेंशन की राशि को एक मुस्त लाभुकों को देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से आच्छादित वृद्धाओं तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना से आच्छादित दिव्यांगों को माह जनवरी, 2021 तक पेंशन भुगतान किया जा चुका है एवं माह फरवरी, 2021 के पेंशन भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ अधिक से अधिक वृद्धाओं को पेंशन भुगतान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित एवं प्रयासरत है। सम्प्रति वृद्धाओं को प्रतिमाह रु0 1000/– पेंशन भुगतान किया जा रहा है। तत्काल वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा – 78/2021– 580 राँची, दिनांक : 17/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–805/वि०स०, दिनांक–02.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.21

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

श्री उमा शंकर अकेला, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड के विभिन्न गाँव छत्रपुरा, चमकला, बेला, अकुरहवाँ, टुटी, मानगढ़, लोहड़ी मे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ;	अस्वीकरात्मक। प्रश्नगत वर्णित गाँवो में क्रमशः छतरपुर में 1 कूप 1 तालाब, चमकला में 7 कूप 5 तालाब, बैला में 2 कूप 2 तालाब, अकुरहवा में 4 कूप 3 तालाब, टुटी में 1 तालाब, मानगढ़ में 11 कूप 8 तालाब, लोहड़ी कला में 1 कूप 5 तालाब है। जिससे योजना के आस-पास के गाँवों में सिंचाई होती है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव मे यदि लिफ्ट एरीगेशन की व्यवस्था की जाय तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित होने से किसानों की आय मे वृद्धि होगी एवं उनका पलायन रुकेगा ;	स्वीकरात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त गाँव में लिफ्ट एरीगेशन की व्यवस्था कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभुक समिति से विद्युत संयोजन, विपत्र भुगतान तथा योजनाओं के सम्पोषण हेतु शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए आगामी वर्षों में सरकार योजना के निर्माण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०-46/2021/ 1561 / राँची, दिनांक- 15/3/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक- दिनांक- के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोयला मंत्रालय एवं झारखण्ड सरकार के बीच हुए ए०एम०यू० के तहत पीट वाटर कोयला माइंस से धनबाद जिला में पानी की आपूर्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना था,	माइंस पिट वाटर के उपयोग हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ झारखण्ड सरकार की ओर से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा दिनांक 30.10.2017 को MOU किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों के साथ ए०एम०यू० के तहत धनबाद जिला के शहरी क्षेत्र झरिया में पानी की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है, जबकि पीट वाटर से अभी तक सिंचाई की सुविधा हेतु सिन्दरी विधान–सभा क्षेत्र के साथ–साथ पूरे धनबाद जिला के किसानों को पानी आपूर्ति हेतु ठोस पहल नहीं की गई है,	धनबाद जिला के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु माइंस पिट आधारित दो पेयजल आपूर्ति योजनायें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित है। पीट वाटर से सिंचाई हेतु जलापूर्ति की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के किसान सिर्फ मानसून पर आधारित खेती करते हैं,	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिला के किसान सिर्फ मॉनसून पर आधारित खेती नहीं करते हैं, बल्कि इस जिला के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु खुदिया सिंचाई योजना निर्मित है। इस योजना से गोविन्दपुर प्रखण्ड के धावाटॉड, टीटी बापडी, बरियो, कुरूवा, पथुरिया, बरमसिया, शिवपुर, सरकारडीह, माधामहुल खरनी, मोहनपुर, आसना, लाहेरडीह, बाबनदाद, बरदहि, बागदूडीह, रामपुर, पहाड़पुर एवं पूर्वी टुण्डी प्रखण्ड के ग्राम– फतेहपुर, सिंगराईडीह, बामनाबाद तथा निरसा प्रखण्ड के ग्राम– जुगीतुपा, बेनागरिया, तलबेडिया, गमला, अंगुलकट्टा, मदराडीह इत्यादि में 4251 हे० खरीफ एवं 1215 हे० रब्बी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावे धनबाद जिलान्तर्गत कुल 61 अदद् चेकडैम तथा 36 अदद् तालाब/आहर/मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कराया गया है। इन योजनाओं से 4050.45 हे० खरीफ एवं 563.28 हे० रब्बी में सिंचाई सुविधा दी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार केन्द्र सरकार से हुए ए०एम०यू० के आलोक में सिन्दरी विधान–सभा क्षेत्र के साथ–साथ पूरे धनबाद जिला के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में पीट वाटर से सिंचाई की योजना प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में इसकी संभाव्यता पर विचार किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–50/2021 – 1726 /राँची, दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1090 वि०स० दिनांक 08.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(589)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड–बड़कागाँव, ग्राम पंचायत–आंगो के टोला सिमराजरा, डुमरबेड़ा, चरका पत्थर तथा केरेडारी प्रखण्ड के ग्राम नीरी तथा अन्य गाँवों में अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवों को विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड बड़कागाँव ग्राम पंचायत आंगो के टोला सिमराजरा में लगभग 10–12 घर है जो कि घने जंगल के बीच में मुख्य पथ से लगभग 6–7 कि०मी० दूर पहाड़ पर स्थित है, जहाँ विद्युतीकरण संभव नहीं है। इस गाँव को सोलर पावर से विद्युतीकरण करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रखण्ड बड़कागाँव ग्राम पंचायत आंगो के टोला डुमरबेड़ा में लगभग 25 घरों में 25 के०भी०ए० क्षमता के एक ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली चालू है। आंगो पंचायत के टोला चकरापत्थर में लगभग 30–35 घरों में 25 के०भी०ए० क्षमता के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति चालू है। केरेडारी प्रखण्ड के ग्राम नीरी में वर्तमान में 25 के०भी०ए० क्षमता के दो (02) ट्रांसफार्मर एवं 63 के०भी०ए० क्षमता के एक (01) ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 651 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अधिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

माननीय स0वि0स0 श्री आलोक कुमार चौरसिया द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–41 का उत्तर प्रतिवेदन : 590

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड में सिंचाई की आपार संभावना है, परन्तु गर्मी के दिनों में नदी/नालों का पानी सुख जाने के साथ–साथ पानी के अभाव में किसानों के खेती करने में काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के पंचायत–सलतुआ के निकट तहले एवं सिउरी दो नदियों के मिलने वाले स्थान में यदि बराज की निर्माण कर दिया जाता है तो उससे लाभान्वित गाँव सलतुआ, बुढ़ीबीर, बहेरा, खामी, खुर्रा, बहेरा कला, जयनगरा सैकड़ो गाँव को पानी उपलब्ध होगी तथा सिंचाई के साथ–साथ चापाकलों का भी जल स्तर बढ़ेगा;	अस्वीकारात्मक। प्रस्तावित बराज से चिन्हित क्षेत्रों में पानी के उपलब्धता की संभाव्यता पर जाँच के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीण किसानों को कृषि कार्य में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए तहले नदी एवं सिउरी नदी के मिलान के पास बराज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	चैनपुर प्रखंड अंतर्गत रानीताल एवं टेमराईन जलाशय का आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा बुटनडुबा जलाशय योजना का कार्य पूरा हो चुका है। प्रस्तावित पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना के क्रियान्वयन से चैनपुर प्रखंड में पानी का अभाव नहीं होगा। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में तहले एवं सिउरी नदी के पास बराज का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

अनु0–पूरक सामग्री।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1658 राँची, दिनांक– 16/03/2021।

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–937, दिनांक–04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

591

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला स्थित पाकरटांड प्रखण्ड अन्तर्गत कांसजोर जलाशय योजना का नहर निर्माण कार्य को कराने हेतु साईनडीह एवं सोगड़ा ग्राम के रैयतों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित नहर निर्माण के कार्य को पूर्ण कराने हेतु साईनडीह एवं सोगड़ा ग्राम के रैयतों को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा पूर्ण रूप से सरकार ने अब तक रैयतों को भुगतान नहीं किया है और उक्त नहर निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है.	स्वीकारात्मक। कांसजोर जलाशय योजना के बायीं मुख्य नहर अंतर्गत सोगरा वितरणी एवं सैण्डीह लघु नहर हेतु सोगरा एवं सिकरिया टाँड ग्रामों में भू–अर्जन किया गया है। (i) सोगरा वितरणी हेतु कुल 35.19 एकड़ भूमि का भू–अर्जन कुल 108 पंचाटियों से किया गया, जिसमें से कुल 78 पंचाटियों का भू–अर्जन राशि का भुगतान किया जा चुका है। (ii) सैण्डीह लघु नहर हेतु कुल 38.14 एकड़ भूमि का भू–अर्जन कुल 91 पंचाटियों से किया गया, जिसमें से 46 पंचाटियों का भू–अर्जन राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष पंचाटियों को मुआवजा की राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित उक्त नहर निर्माण में रैयतों के अधिग्रहण जमीन का मुआवजा एवं उक्त अधूरा नहर निर्माण का कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	रैयतों के अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान एवं अधूरे नहर के कार्य को कराने का विचार है। बजट उपबंध के आलोक में आगामी वर्षों में इसका कार्यान्वयन कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–45/2021 – 1648 /राँची, दिनांक 18/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 935 वि०स० दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री वैद्यनाथ राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-49 का उत्तर प्रतिवेदन। 592

क्रo	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिले के प्रखंड चन्दवा के पंचायत लाधूए ग्राम सेन्हा में लघु सिंचाई विभाग के द्वारा लगभग दो करोड़ सत्तर लाख रू० की लागत से हेसला डैम एवं छलका का मरम्मति कार्य विगत दो वर्षों से चल रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम एवं छलका का मरम्मति का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है तथा कार्य बंद है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कार्य को बेवजह रोक कर अनियमितता को छुपाने की कोशिश की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना की जांच कराते हुए उस कार्य को पूरा कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	योजना के बांध की मरम्मति का कार्य हो गया है। स्पीलवे एवं नहर के मरम्मति कार्य के दौरान वन विभाग द्वारा संवेदक के प्रतिनिधि के विरूद्ध अवैध अतिक्रमण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के कारण कार्य रूका हुआ है। योजना पूर्व निर्मित पुरानी योजना है एवं इसके जीर्णोद्धार का कार्य ही किया जा रहा है। योजना की सिंचन क्षमता 150 हेक्टेयर है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां0-56/21/ 1645 / राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 20 (बीस) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके. रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(593)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या कृष–17 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मत्स्य विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा मछली पालन हेतु अनुदान राशि की सहायता प्रदान की जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मछुआरों/मत्स्य कृषकों को मछली पालन हेतु अनुदान से संबंधित सामग्री के रुप में मत्स्य स्पॉन, मत्स्य फिंड और जाल उपलब्ध करायी जाती है। अनुदान का नगद भुगतान नहीं किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि मत्स्य बीज खरीददारी हेतु मिलने वाली अनुदान राशि निबंधित मत्स्य पालन समितियों के स्थान पर संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त हो रही है;	अस्वीकारात्मक। मत्स्य बीज (स्पॉन) वितरण कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय निविदा समिति द्वारा न्यूनतम दर निर्धारण एवं तद्नुसार आपूर्तिकर्त्ता चयन किया जाता है। जिला स्तरीय निविदा समिति द्वारा निर्धारित दर पर चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा मछुआरों/मत्स्य कृषकों को मत्स्य बीज (स्पॉन) की आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति के उपरान्त चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं को जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मूल्य का भुगतान किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मत्स्य पालन की अनुदान राशि सीधे निबंधित मत्स्य पालन समितियों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:– 5 बजट (1) 17/2021 प0 पा0 301 रॉची/ दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉची को उनके ज्ञापांक 946 दि0 04.03.2021 के प्रसंग में तथा अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुलाम सरवर) 19.03.21
सरकार के अवर सचिव

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-37 का उत्तर प्रतिवेदन। 594

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पोद्दारडीह में काफी पुराना तालाब रानी बांध अवस्थित है तथा तालाब में मिट्टी, गाद, कीचर, खर-पतवार आदि से भर गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि रानी बांध तालाब की भूमि अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद) के पत्रांक-353 दिनांक-16.03.2020 के आलोक में वर्णित भूमि मौजा-पोद्दारडीह, मौजा नं0-106 खाता संख्या 67, प्लॉट सं0-839, रकबा 46.56 ए0 गैर आबाद खाते की भूमि है ;	स्वीकारात्मक। अंचलाधिकारी निरसा (धनबाद) द्वारा गैर आबाद (किस्म रानी बांध) खाते की भूमि बताया गया है। जबकि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा धनबाद कोर्ट के Decree वर्ष 1968 के माध्यम से वर्णित भूमि रैयती बतलाई जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब के आस-पास गाँव-पोद्दारडीह, पाण्ड्रा, कुर्थल, संबंधपुर आदि गाँवो में जलापूर्ति होती है तथा पुजा-पाठ, मुंडन, संस्कार आदि कार्यो में कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रानी बांध तालाब का गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण तथा जीर्णोद्धार कार्य चालु वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	वर्णित तालाब विवादित है। अंचलाधिकारी निरसा द्वारा संबंधित रैयतो को भूमि पर किये जा रहे दावे के संबंध मे साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया है। तालाब की भूमि से संबंधित विवाद के समाप्त होने के उपरांत ही योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराने के बिन्दु पर निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां0-40/2021/ 1655 / राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-_____ के प्रसंग मे अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

595

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

श्रीमती ममता देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती ममता देवी, माननीय स0वि0स0	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अन्तर्गत गोला प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य 2010–11 में प्रारंभ होकर आज तक पूरा नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चितरपुर प्रखंड में निर्मित पशुचिकित्सालय का भवन जर्जर हो चुका है, जहां कभी भी घटना घटने की संभावनाएं बनी हुई है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि दुलमी प्रखंड में पशुचिकित्सालय नहीं होने की वजह से पशुपालकों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोला प्रखंड के पशुचिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने चितरपुर प्रखंड के जर्जर हुए पशु चिकित्सालय केन्द्र की मरम्मति कराने एवं दुलमी प्रखंड में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराकर पशु पालकों को पशुओं के ईलाज का बेहतर सुविधा मुहैया कराने का विचार चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	(क) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, रामगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त कर वर्णित पशुचिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अग्रतर कार्रवाई जाएगी। (ख) वर्णित पशुचिकित्सालय भवन, चितरपुर का आकलन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, रामगढ़ से कराने के उपरान्त भवन की मरम्मति/नये निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। (ग) दुलमी प्रखण्ड अन्तर्गत पशुचिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, जिससे पशुपालकों को पशुओं के ईलाज का बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:–5 बजट (1) 14/2021 प0पा0 316 रॉंची/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 806 दि0 02.03.2021 के प्रसंग में एवं अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव

596

माननीय स० वि० स० श्री कुशवाहा (डा०) शशिभूषण मेहता द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ज० – 32 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के अन्तर्गत अमानत नदी पर बराज एंव नहर निर्माण कार्य आज से लगभग 30 वर्षो पूर्व प्रारम्भ किया गया था, लेकिन विभाग के उदासीन रवैया के कारण पलामू प्रमंडल का महत्वकांक्षी योजनाऐं आज तक अधूरा पड़ा है,	अस्वीकारात्मक। अमानत बराज योजना का निर्माण पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड के अर्न्तगत कोल्हुआ ग्राम के पास अमानत नदी पर किया गया है। योजना अर्न्तगत बराज का निर्माण कार्य वर्ष 2011 तक में पूरा कर लिया गया है। अमानत बराज योजना के डूब क्षेत्र के ग्राम चन्द्रपुर एंव गुरू के भू-अर्जन की प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण भू अर्जन पूरा नहीं हो सका है, जिसके फलस्वरूप बायाँ बांध का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। अतः बराज में जल भंडारण नहीं हो पा रहा है। बराज से निकले मुख्य नहर में वन भूमि भी शामिल है। इसका पूरा क्लीयरेंस नहीं हो सका है। अतः नहर का निर्माण अधूरा है।
2	क्या यह बात सही है कि अमानत बराज तथा कैनाल (नहर) का कार्य पूरा होने से लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा, जिससे पलामू को सुखाड़ से निजात मिलेगा तथा किसानों को रबी एंव खरीफ फसल के उपज में भी इजाफा होगा,	स्वीकारात्मक। अमानत बराज एंव नहर का कार्य पूर्ण होने पर लगभग 26990 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगा तथा किसानों को खरीफ फसल के उपज में इजाफा होगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त महत्वकांक्षी योजनाओं को पूर्ण कर चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो,कब तक, नहीं तो क्यों	वनभूमि क्लीयरेंस एवं बचे हुए भू अर्जन का काम पूरा होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर योजना पूरा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

अनु०– पूरक सामग्री

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1568 रॉंची, दिनांक– 15/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 783, दिनांक– 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

597

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-19 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता-श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० प्रश्न	भारसाधक-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची द्वारा विज्ञापन सं०-01/2005 द्वारा विभिन्न पदों पर बहाली हेतु विज्ञापन निकाला गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उप निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र का पद विज्ञापन में नहीं होने के बावजूद 2005 में ही श्री निवास सिंह गिरि को सीधी बहाली के तौर पर नियम के विरूद्ध नियुक्ति कर सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त पद पर पदस्थापित कर दिया गया था;	उप निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, गौरियाकरमा के पद पर नियुक्ति प्रबंध पर्षद की 60वीं बैठक दिनांक-25.11.2005 की अन्यान्य के कंडिका-2 में लिये गये निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय परिनियम की धारा-14.4 के अनुसार कुलपति के द्वारा समझौता वार्ता (Negotiation) के आधार पर की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि श्री निवास सिंह गिरि, उप निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी नहीं रखते हैं;	उप निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र के पद की अर्हता के संबंध में विश्वविद्यालय के परिनियम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रबंध पर्षद द्वारा उप निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र के पद को अन्य समकक्ष पदों के धारित योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय के परिनियम की धारा-14.4 के आलोक में श्रीनिवास गिरि की नियुक्ति की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री निवास सिंह गिरि, उप निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र की बहाली की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/बी०ए०यू०(ता०)-04/2021 544 /कृ०, राँची, दिनांक-17.03.2021।

प्रतिलिपि- श्री नीतेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-945 दिनांक-04.03.2021 के प्रसंग में (125 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2021

(प्रेमेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/बी०ए०यू०(ता०)-04/2021 544 /कृ०, राँची, दिनांक-17.03.2021।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय, आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रशासीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/20

सरकार के अवर सचिव।

598

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या –ज–48 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत उत्तर कोयल परियोजना से जीरो आर0डी0 पम्प नहर निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2008 में प्रदान कर मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर के कार्यालय द्वारा निविदा संख्या– 01/ 2008–09 प्रकाशित कर निविदा आमंत्रित की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 28 फरवरी, 2021 तक जीरो आर0 डी0 पम्प नहर निर्माण के संबंध में किसी तरह की कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नही हुई है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार, बिहार सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच उत्तर कोयल परियोजना के संदर्भ में 12 जनवरी, 2018 को एम0ओ0यू0 हुआ है, जिसके तहत उत्तर कोयल परियोजना के 10% पानी झारखण्ड को तथा 90% पानी बिहार राज्य को मिलेगा;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उत्तर कोयल परियोजना के 10% हिस्से का पानी लेने हेतु तथा हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र में समुचित सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जीरो आर0डी0 पम्प नहर का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों।	उत्तर कोयल परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध पानी से झारखण्ड राज्य में मोहम्मदगंज बराज के बायीं नहर से 11.81 Km एवं दायीं नहर से 31.00 Km तक पटवन का प्रावधान है। जीरो आर0डी0 पम्प नहर निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा बिहार सरकार के द्वारा हस्ताक्षरित MOU में शामिल नहीं है।

		हुसैनाबाद, हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखंड के जमीन में सिंचाई देने के लिए प्रस्तावित पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना के DPR में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसकी संभाव्यता के जाँच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1639 रॉंची, दिनांक– 16/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा रॉंची को उनके ज्ञापांक सं0– 1109, दिनांक– 08.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉंची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, रॉंची

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न का संख्या–कृष–14 का उत्तर।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका, प्रमंडल के दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जीवन–यापन के लिए मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं;	पशुपालन से आय प्राप्त करने के लिए मुर्गीपालन एक अच्छा विकल्प है। उक्त कारण से राज्य के सभी जिलों में मुर्गीपालन का व्यवसाय कृषक/पशुपालक के द्वारा की जाती है। जिसके अन्तर्गत दुमका, प्रमंडल के दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, जिलों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिलों के मुर्गी पालक व्यवसायों के चुजा की आपूर्ति प० बंगाल के हेचरी से किया जाता है;	मुर्गीपालन व्यवसाय के लिए अण्डा एवं चूजा की आपूर्ति राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बोकारो से की जाती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार मुर्गी पालकों के द्वारा राज्य अन्तर्गत अन्य निजी मुर्गी प्रक्षेत्रों एवं समीपवर्ती राज्यों के जिलों से भी अण्डा एवं चूजा क्रय की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त जिलों में अबतक बड़ा पोलेट्री फार्म/हेचरी का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक। राज्य में विभाग अन्तर्गत पॉल्ट्री फार्म/हेचरी, राँची एवं बोकारो में है। वर्तमान में कुक्कुट प्रक्षेत्र, होटवार, राँची का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है, जो अगस्त, 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है, तदुपरान्त अण्डा एवं चूजा उत्पादन एवं आपूर्ति का कार्य किया जाएगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार दुमका प्रमंडल के मुर्गी पालकों के हित में पोलेट्री फार्म/हेचरी का निर्माण व्यवसायिक उत्पादन के लिए करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुर्गीपालन के व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में दुमका में चूजा आपूर्ति हेतु मुर्गी प्रजनन प्रक्षेत्र बनाने के संदर्भ में विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक:–5 बजट (1) 15/2021 प0 पा0 317 राँची/ दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 807 दि0 02.03.2021 के प्रसंग में एवं अवर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–कृष–11 का प्रश्नोत्तर।

600

प्रश्नकर्ता–श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में परियोजना निदेशक, आत्मा के रिक्त पद का प्रभार उप परियोजना निदेशक, आत्मा, पलामू को दिया गया है जो संविदा पर नियुक्त है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अन्य दूसरे जिले में नियमानुसार वरीय पदाधिकारी का प्रभार नहीं दिया जा सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि रामगढ़ जिला में जिला/अनुमण्डल स्तरीय कृषि पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में परियोजना निदेशक, आत्मा, रामगढ़ के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार, उप परियोजना निदेशक, आत्मा, पलामू, जो समेति मुख्यालय में प्रतिनियुक्त थे, को तत्कालिक व्यवस्था के तहत् कार्यहित में दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में यह बताएगी कि किस नियम के तहत कनीय पदाधिकारी को अपने कार्य के अतिरिक्त दूसरे जिले में वरीय पदाधिकारी का प्रभार दिया गया, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त कॉडिका में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ०वि०स०(ता०)–12/2021 519 /कृ०, राँची, दिनांक–16-03-2021

प्रतिलिपि:– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–810 दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ०वि०स०(ता०)–12/2021 519 /कृ०, राँची, दिनांक–16-03-2021

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा–9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(60)

डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-21 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ने अन्नदाता किसान के आय में वृद्धि कर उनकी आर्थिक सुदृढ़ता के लिए सरकार उपज का क्रय नहीं किये जाने के कारण किसान बिचौलियों के हाथों औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार किसानों के आर्थिक सबलता हेतु फसल को क्रय करने की व्यवस्था को सुदृढ़ कर ससमय भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	धान फसल का क्रय की कार्रवाई खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की जा रही है। अन्य फसलों के क्रय हेतु संस्थागत ढांचा का निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-07/विधान सभा (तारांकित) धान अधि0-13/2021 सह0 366 /राँची, दिनांक- 16.03.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-1088 वि0स0 दिनांक-08.03.2021 के क्रम में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-07/विधान सभा (तारांकित) धान अधि0-13/2021 सह0 366 /राँची, दिनांक- 16.03.2021

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता/कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(602)

श्री रामदास सोरेन, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–क–12 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के घाटशिला प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, उपर चाकड़ा में वर्ष 2005–06 में 08 कमरे का निर्माण मैसी क्षेत्र परियोजना अन्तर्गत कराई गई थी, जो अबतक अधूरी है जिसका लाभ उक्त विद्यालय के छात्रों को नहीं मिल रही है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सूचित किया गया है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के घाटशिला प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, उपरचाकड़ा में वर्ष 2005–06 में 8 कमरे का निर्माण निम्न प्रकार किया जाना था :– Room -8 Nos. x 16'0" x 14'0" = 1792sft Veramdah – 98'6" x 8'0" = 788sft Room 1 – 2 Nos x 9'6" x 8'0" = 152sft **Total = 2732 sft** वास्तव में उक्त स्थान पर भौतिक रूप से चार बड़ा एवं दो छोटे कमरे का निर्माण निम्न प्रकार किया गया है :– Room 1 = 29'2" x 15'9" = 459.380 sft Room 2 = 28'6" x 15'9" = 448.875 sft Room 3 = 28'6" x 15'9" = 448.875 sft Room 4 = 29'4" x 15'9" = 461.994 sft Varandah = 97'9" x 9'9" = 953.062 sft Room 5 = 2 Nos. x 8'10" x 9'6" = 167.827 sft **Total = 2940.013 sft** इस प्रकार आठ के स्थान पर चार बड़े–बड़े कमरे (लगभग दुगने आकार का) एवं दो छोटे कमरे का निर्माण किया गया है। भवन भौतिक रूप से पूर्ण एवं सही है तथा उक्त निर्मित भवन को विद्यालय द्वारा कक्षा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
02.	क्या यह बात सही है कि खंड 01 में वर्णित विद्यालय में उक्त कमरे के निर्माण कार्य के नाम पर लाखों रुपये की निकासी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कर ली गई है।	वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, उपरचाकड़ा घाटशिला में 8 (आठ) कमरा निर्माण हेतु योजना स्वीकृत थी, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 14,11,700/– रू० थी। योजना निर्माण हेतु श्री कृष्णा सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता, मैसी क्षेत्र, जमशेदपुर विभागीय अभिकर्ता नियुक्त थे। विभागीय अभिकर्ता द्वारा कुल 14,11,700/– रू० का मापी विपत्र प्रस्तुत किया गया था। श्री सिंह को विभागीय अभिकर्ता के रूप में कार्य कराने हेतु कुल 13,57,500/– रू० विमुक्त किया गया है।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 01 में वर्णित विद्यालय में अधूरे निर्माण कार्य कराते हुए संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	प्राक्कलन से हटकर योजना कार्य किए जाने के संबंध में सक्षम पदाधिकारी की सहमति संबंधी आदेश अभिलेख में नहीं है। उक्त के आलोक में उपायुक्त को संबंधित अभिकर्ता एवं तकनीकी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निदेशक, आई० टी० डी० ए०, पूर्वी सिंहभूम द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जमशेदपुर एवं सहायक अभियंता (विभागीय अभिकर्ता) से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। (प्रति संलग्न)

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०प्र०–सी०–04/2021 – 807 रॉची, दिनांक– 17.03.2021

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञा० सं०–951 दिनांक– 04.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.03.2021

(रवि रंजन मिश्रा)
सरकार के अपर सचिव।

समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 518 / [illegible]

प्रेषक —

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम।

सेवा में,

श्री [illegible] मिश्रा,
सरकार के अवर सचिव,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

जमशेदपुर, दिनांक 17.3.2021

विषय — श्री रामदास सोरेन, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – छ – 12 के सम्बन्ध में।

प्रसंग : — आपका पत्रांक 789, दिनांक 16.03.2021

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2005 - 06 में अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, [illegible], घाटशिला में 8+2 कमरों के भवन पर [illegible] [illegible] कार्य का निर्माण से सम्बन्धित विभागीय अभियंता एवं तकनीकी पदाधिकारियों से [illegible] के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पूछते हुए प्रतिवेदन की माँग [illegible] में प्रतिवेदित करना है कि —

— उक्त निर्माण योजना के मापी पुस्त में सहायक अभियंता (विभागीय अभियंता) [illegible] [illegible] एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल जमशेदपुर द्वारा [illegible]।

उक्त अभियन्ताओं से कार्यालय पत्रांक 514 दिनांक 16.03.2021 [illegible] [illegible] द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही प्रतिवेदित कर दिया जायगा।

वि0 [illegible]

ह0/-
17/3/21

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Scanned by TapScanner

समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक 514 ITDA

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

प्रेषित

श्री कृष्णा सिंह
सहायक अभियंता, (सेवा निवृत)

जमशेदपुर दिनांक 16-03-2021

विषय - स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे कहना है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 मे योजना सं० 15/05-06 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय उपरघाघरा, घाटशिला मे 08 (आठ) कमरे का निर्माण हेतु आप विभागीय अभिकर्ता नियुक्त थे। योजना मे 8+2 कमरे के बदले 04 (चार) बड़ा एवं 02 (दो) छोटा कमरा का निर्माण आपके द्वारा कराया गया है, जो प्राक्कलन मे [illegible] दर्शाता है।

अतः आप स्पष्ट करे की किस पदाधिकारी के आदेश से प्राक्कलन के [illegible] निर्माण कार्य कराया गया है ? आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा आप के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

[signature] 16/3/21

परियोजना निदेशक
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

[signature]
जिला कल्याण पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर

Scanned by TapScanner

समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

पत्रांक 515 /ITDA

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

श्री विनोद कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल
जमशेदपुर।

जमशेदपुर, दिनांक 16-3-21

विषय :- स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे कहना है कि योजना सं० 15/05-06 अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय उपरघावड़ा, घाटशिला में 08 (आठ) कमरे का निर्माण [illegible] मापी पुस्त आपके द्वारा वर्ष 2007 में सत्यापित किया गया है। योजना का भौतिक [illegible] गया है कि योजना में 08 (आठ) कमरे के बदले 04 (चार) बड़ा एवं 02 (दो) छोटा कमरा का निर्माण कराया गया है, जो प्राक्कलन के विरूद्ध है।

अतः आप स्पष्ट करें की किस आदेश से प्राक्कलन में विचलन कर निर्माण कार्य कराया गया एवं आप के द्वारा मापी पुस्त सत्यापित किया गया है ?

आप अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी [illegible] सुनिश्चित करें, अन्यथा आप के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई [illegible] आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

परियोजना निदेशक,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 515 ITDA, दिनांक 16-3-21

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जमशेदपुर को पत्र की प्रति [illegible] करते हुए निदेश है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को तामिला [illegible] प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कल्याण पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

परियोजना निदेशक,
समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Scanned by TapScanner

603

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती सीता सोरेन,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड में PDS जन वितरण प्रणाली राशन दुकानदारों को अनाज वितरण के लिए जो राशन कार्ड होल्डर की संख्या दी गई है उसमें भारी अंतर है में और एकरूपता नहीं है किसी राशन दुकानदार को 1200 से लेकर 1500 तक ग्राहकों के राशन वितरण का जिम्मा दिया गया है तो किसी राशन दुकानदार को मात्र 25 से 35 कार्ड होल्डर को राशन वितरण करने की जिम्मेवारी दी गई है;	लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2019 के अध्याय–III, 9 (v) में प्रावधानित है कि लगभग 1000 (एक हजार) की जनसंख्या पर एक अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उक्त के अनुसार ही जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना है। तथापि विभागीय समीक्षा में 973 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास 50 से कम कार्ड तथा 1947 जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास 400 से अधिक कार्ड होने की बात प्रकाश में आने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास उपलब्ध कार्ड को युक्तिसंगत बनाने (Rationalization) हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि PDS राशन दुकानदारो में कार्ड समरूपता नहीं होने के कारण कम कार्ड होल्डर वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दुकान संचालन के साथ आजीविका चलाने में बेहद कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उनसे सम्बद्ध कार्ड के आधार पर आवंटित खाद्यान्न के अनुसार प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर रूपये 100/– का कमीशन प्राप्त होता है। कम खाद्यान्न का आवंटन होने पर कमशीन की राशि भी कम हो जाती है जिससे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के लिए यह कार्य वित्तीय रूप से असम्भाव्य (Unviable) हो जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी PDS राशन दुकानदारों के बीच कार्ड की संख्या में समरूपता लाने का विचार रखती है, हाँ तो तक तक, नही तो क्यों?	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास उपलब्ध राशनकार्ड की संख्या में व्याप्त असमानता को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। विभागीय पत्रांक 2321, दिनांक 08.09.2020 के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से सम्बद्ध राशन कार्डधारियों की संख्या को औसत समरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी उपायुक्तों को विभाग द्वारा दिशा–निर्देश दिये गये हैं। पुनः विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्रांक 2873 से 2895, दिनांक 05.11.2020 द्वारा सभी जिलों को निदेशित किया गया है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई जारी है। सरकार PDS दुकानदारों के बीच झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण (आदेश), 2019 के अनुसार राशनकार्ड में समरूपता लाने हेतु प्रतिबद्ध है।

16/03/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र० 04 (वि०स०ता०प्रश्न) 12/2021 895 /राँची, दिनांक 16.03.21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–804/वि०स०, दिनांक 02.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

(604)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–20 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मोहरदा जलापूर्ति परियोजना, जमशेदपुर के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है, जबकि जुस्को की बिजली आपूर्ति संरचना वहाँ तक पहुँच गई है और केवल कनेक्शन जोड़ने का काम बाकी है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि मोहरदा जलापूर्ति परियोजना की संरचना में जुस्को की बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए बिजली वितरण निगम अनापत्ति प्रमाण-पत्र इसलिए नहीं दे रहा है कि जुस्को पर निगम का बिजली बिल का बकाया है;	मोहरदा जलापूर्ति परियोजना का विद्युत संबंध झारखण्ड सरकार के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा लिया गया था, जिसपर वर्तमान में बिल माह जनवरी 2021 तक रू० 15,97,93,982/– बकाया है एवं भुगतान लंबित है। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, आदित्यपुर के अनुसार मई 2017 तक का बकाया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा किया जाना है एवं मई 2017 के उपरांत का बकाया जुस्को, जमशेदपुर के द्वारा दिया जाना है।
3. क्या यह बात सही है कि मोहरदा जलापूर्ति परियोजना का परिचालन जुस्को द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए जुस्को की बिजली मिल जाने से जलापूर्ति परियोजना का परिचालन बेहतर हो जायेगा;	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा, उक्त परियोजना हेतु माह जनवरी एवं फरवरी-2021 में, औसतन 23 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मोहरदा जलापूर्ति परियोजना के लिए जुस्को से बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मोहरदा जलापूर्ति परियोजना के विद्युत मद में बकाया राशि के भुगतान के उपरांत इस पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 653 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Dtd. 18

605

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–18 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री उमाशंकर अकेला, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के आदिवासी बाहुल ग्राम धोबघाट, नरसिंघवा, पिंड्वा, परसातरी में आजादी के बाद आज तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में विद्युतीकरण नहीं होने के कारण जंगल में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चो को पढ़ने में काफी परेशानी होती है एवं वे विकास से काफी दूर है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँव में विद्युतीकरा कार्य करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	बरही प्रखण्ड के ग्राम धोबघाट, नरसिंघवा, पिण्डवा, परसातरी में DDUGJY (12th Plan) परियोजना के अन्तर्गत 11 के०भी० लाईन करीब 10 कि०मी० है, जिसमें 08 कि०मी० का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बाकी 02 कि०मी० का कार्य प्रगति पर है। एल०टी० लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। DTR Structure भी तैयार है। चारो ग्राम में 25–25 के०भी०ए० क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके हैं। उक्त ग्रामों को दिनांक 31.03.2021 तक ऊर्जान्वित कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 654 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के कटाव क्षेत्र साहेबगंज प्रखण्ड के लालबथानी से पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र तक कुल लम्बाई 83.15 कि०मी० की दूरी में विभिन्न Erosion Prone Area में कटाव निरोधक कार्य की जा रही है,	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के कटाव क्षेत्र साहेबगंज प्रखण्ड के लालबथानी से पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र तक कुल लम्बाई 83.15 कि०मी० दूरी में विभिन्न कटाव प्रभावित स्थलों में कटाव निरोधक कार्यों का डी०पी०आर० वॉपकोस लि० (WAPCOS Ltd.) परामर्शी द्वारा तैयार कर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (G.F.C.C.) को भेजा गया था। लेकिन G.F.C.C. द्वारा गाईडलाईन (Guideline) में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण डी०पी०आर० में कुछ बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए आवश्यक संशोधन करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर को डी०पी०आर० में संशोधन करने हेतु निदेशित किया गया है। ।
3.	क्या यह बात सही है कि जिलान्तर्गत गंगा नदी के दांये तट पर मसकलैया घाट के पास कटाव निरोधक कार्य (200 मी०), राजमहल प्रखण्ड के ग्राम–महाजन टोला के पास कटाव निरोधक कार्य (165 मीटर) एवं उधवा प्रखण्ड के ग्राम–खट्टीटोला से बानो टोला तक कटाव निरोधक कार्य (400 मीटर) का प्राक्कलन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु समर्पित की जा चुकी है,	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (3) में वर्णित कटाव निरोधक / बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के प्राक्कलन प्रस्ताव की अविलम्ब प्रशासनिक स्वीकृति देने का विचार चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्णित तीनों योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृत दी जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–34/2021 – 1644 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 776 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(607)

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–22 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता – श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़का डुइल के ग्राम बरटोली, खपरा टोली एवं कदमटोली में कुल 111 परिवार एवं बांकी पंचायत के ग्राम डोंगी झरिया में करीब 25 परिवार के लोगों तक बिजली नहीं पहुँच पाया है, जिसके कारण इन गाँवो के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं;	स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़का डुइल के ग्राम बड़का डुइल के अन्तर्गत कुल 08 (आठ) टोला में से पाँच टोला का विद्युतीकरण कर लिया गया है। शेष तीन टोला (बरटोली, खपराटोली एवं कदमटोली) में पहुँच पथ नहीं है तथा ये तीनों ही टोले दुर्गम पहाडी क्षेत्र एवं घने जंगलों से आच्छादित है। उक्त तीनों टोलों को विद्युतीकरण हेतु पहुँच पथ एवं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की नितांत आवश्यकता है। बांकी पंचायत के बांकी ग्राम के डोंगीझारिया में भी पहुँच पथ नहीं है। यह टोला बांकी राजस्व ग्राम से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल एवं पहाड़ पर अवस्थित है। इसे विद्युतीकरण हेतु पहुँच पथ एवं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की नितांत आवश्यकता है। अतः उक्त वर्णित टोलों को वर्तमान में जेडा के माध्यम से विद्युतीकरण कराने पर विचार किया जा रहा है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन ग्रामों तक बिजली पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 645 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 17/3/21
(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Dass 33

608

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-20 का प्रश्नोत्तरः-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः-

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोविन्दपुर प्रखण्ड एवं बलियापुर प्रखण्ड कृषि बहुल्य क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोविन्दपुर प्रखण्ड अंतर्गत बरवाअड्डा, कृषि बाजार समिति एवं बलियापुर प्रखण्ड अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को अपने उत्पादन का उचित मुल्य प्राप्त नहीं हो पाती है ;	उक्त दोनों प्रखण्डों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में धनबाद जिले के प्रखण्ड गोविन्दपुर में कोल्ड रूम (30 एम0टी0) निर्मित है तथा बलियापुर प्रखंड में कोल्ड रूम (30 एम0टी0) का निर्माण भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त दोनों प्रखण्डों में किसानों एवं व्यापारियों के हित में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 मे0टन क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। सम्प्रति 18 जिलों (लोहरदगा, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, साहेबगंज, राँची, गुमला, देवघर, गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा, दुमका, सरायकेला-खरसावाँ एवं पाकुड़) में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

365
16.03.2021

ह0/-
(बन्द भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-07/2021-365 /राँची, दिनांक- 16.03.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-1087 वि0स0 दिनांक-08.03.2021 के क्रम में 250 चत्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021

सरकार के अवर सचिव।

609

माननीया स० वि० स० श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ज० – 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पाटन प्रखण्ड में पांकी अमानत बराज से पाटन प्रखण्ड के लोईंगा, अंगरा, होते हुए सुआ, रजहारा, किसुनपुर, पांधासी, पचकेड़िया, सेमरी, शोले के बीच नहर निर्माण अधुरा रहने से सैकड़ों गाँव के हजारों किसान सिंचाई के अभाव में पलायन को मजबुर है :	अस्वीकारात्मक। अमानत बराज योजना के डूब क्षेत्र के ग्राम चन्द्रपुर एंव नुरू के भू–अर्जन की प्रक्रिया अपूर्ण रहने के कारण भू अर्जन पूरा नहीं हो सका है, जिसके फलस्वरूप बायाँ बांध के बचे हुए 185 मी० का निर्माण नहीं हो सका है। अतः बराज में जल भंडारण नहीं हो पा रहा है। बराज से निकले मुख्य नहर में वन भूमि भी शामिल है। वन भूमि का पूरा क्लीयरेंस नहीं हो पाने तथा साथ ही भू अर्जन की कार्रवाई अपूर्ण रहने के कारण मुख्य नहर का पूरा निर्माण नहीं हो सका है। प्रश्न में लिखे गाँव मुख्य नहर से निकले सिक्की वितरणी से संबंधित है। अतः मुख्य नहर बन जाने के बाद ही वितरणी से सिंचाई होना संभव है। किसानों के पलायन संबंधित सूचना संज्ञान में नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित पंचायतों के बीच नहर निर्माण कार्य पूर्ण कर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यो?	भू अर्जन एंव वन भूमि क्लीयरेंस का कार्य पूरा होने के बाद नहर का कार्य पूरा कर वर्णित एवं अन्य ग्रामों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्प है।

अनु०– पूरक सामग्री

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1567 रॉंची, दिनांक– 15/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं०– 794, दिनांक– 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 15/3/21
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-कृष-18 का प्रश्नोत्तर। 610

प्रश्नकर्ता-श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला सहित राज्य के प्रखण्ड क्षेत्र के सभी पंचायतों में एक पोषक क्षेत्र नियोजित कर सभी गाँवों में कृषक मित्रों की बहाली की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। दो राजस्व ग्राम पर एक कृषक मित्र का चयन किये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में कृषक मित्र चयनित किये गये थे।
2	क्या यह बात सही है कि इनकी बहाली होने के बाद ये किसान क्रेडिट कार्ड हो या फसल बीमा हो, मिट्टी जांच, किसान कल्याण अभियान सहित तमाम प्रकार के कार्यों में सहयोग करते आ रहे हैं, इसके एवज में कृषक मित्रों को 6000/- रू० वार्षिक भुगतान किया जा रहा है, आज इस मंहगाई के दौर में एक मजदूर के मजदूरी से भी काफी कम है जीविकोपार्जन में काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार की ATMA Guidelines, 2018 under Krishonnati Yojana में स्पष्ट किया गया है कि the small sum of Rs. 12000/- per annum has been provided to the Farmer Friends to meet contigent expenditure for assisting fellow farmers. It should not be perceived as remuneration. उक्त स्थिति में आत्मा मार्गदर्शिका 2018 में किये गये प्रावधान के आलोक में सभी कृषक मित्रों को रू. 12000/- प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि किसानों को नियमित रूप से सही समय पर बीज, खाद एवं कृषि उपकरण कृषक मित्र के माध्यम से वितरित कराई जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं०-210 दिनांक-31.07.2010 की कंडिका- 05 के आलोक में कृषक मित्रों की भूमिका एवं दायित्व निम्न प्रकार है : 5.1 गाँव तथा पंचायत कृषि प्रसार कार्य योजना तैयार करने में विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रखण्ड तकनीकी दल एवं कृषक सलाहकार समिति को सहयोग। 5.2 प्रखण्ड तकनीकी दल, विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषक सलाहकार समिति से समन्वय स्थापित कर कृषि कार्य के गतिविधियों में आवश्यकतानुसार सहयोग। 5.3 कृषक पाठशाला के सफल संचालन में सहयोग। 5.4 कृषक समूह निर्माण, स्वयं सहायता समूह एवं सामुदायिक अभिरुची समूह के कार्य में मदद करते हुए उन्हें कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास। 5.5 कृषक अभिरुची समूह एवं सामुदायिक अभिरुची समूहों को किसान साख पत्र (के०सी०सी०) दिलाने हेतु बैंक के साथ समन्वय स्थापित करना। 5.6 नियमित क्षेत्र भ्रमण के दौरान कृषि गतिविधियों के प्रगति का आकलन कर विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रखण्ड तकनीकी दल एवं कृषक सलाहकार समिति को अवगत कराना। 5.7 ग्राम एवं संकुल स्तर पर समूहों की बैठक आयोजन करने में मदद करने में मदद करना। 5.8 आत्मा द्वारा संचालित कृषि गतिविधियों की जाँच, अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करने में विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं प्रखण्ड तकनीकी दल को मदद करना।

		5.9 अग्रपंक्ति प्रत्यक्षण आदि का प्रक्षेत्र में भौतिक सत्यापन करना। 5.10 आत्मा द्वारा किसान समूहों को बीज राशि के रूप में दिये जाने वाले प्रोत्साहन हेतु योग्य समूहों के चयन में मदद करना तथा कृषक पुरस्कार हेतु योग्य कृषक को चयन मे मदद करना। 5.11 प्रखण्ड स्तर पर संचालित केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करना। 5.12 प्रखण्ड स्तर, आत्मा एवं समेति स्तर से समय-समय पर सौपे गये समस्त कार्यो का ससमय निर्वहन करना।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कृषक मित्रों के कठिनाईयों को देखते हुए 6000/- रू. के स्थान पर 12000/- की बढ़ोतरी करने का विचार करती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	कृषक मित्रों को प्रति वर्ष 12000/- रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(ता0)-15/2021 533 /कृ0, राँची, दिनांक-16-03-2021

प्रतिलिपि:- श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-947 दिनांक-04.03.2021 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

(सुधीर कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(ता0)-15/2021 533 /कृ0, राँची, दिनांक-16-03-2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं विभागी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/बोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

सरकार के अवर सचिव।

श्री भूषण बाड़ा, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-40 का उत्तर प्रतिवेदन। (61)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के कुरडेग प्रखंड स्थित पक्का बांध का मेढ़ मरम्मति के अभाव में जर्जर अवस्था में होने के कारण मेढ़ टूटने के कगार पर है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड-1 में वर्णित पक्का बांध का मेढ़ टूट जाता है, तो इससे 17 गाँव जलमग्न हो जायेगा एवं प्रभावित होने वाला गाँवों में काफी जान-माल का नुकसान होगा ;	अस्वीकारात्मक। पक्का बांध का मेढ़ अगर क्षतिग्रस्त होगी तो एक गाँव खलीजोर की कृषि योग्य भूमि प्रभावित होने की संभावना है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड-1 में वर्णित पक्का बांध का जीर्णोद्धार, मेढ़ का मरम्मतिकरण कराने का एवं खंड-2 में वर्णित बांध के निकास द्वार का पूर्व की भांति निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	विषयांकित बांध 450 मीटर लम्बा है जिसमें 30 मीटर लम्बा Spillway (पक्का बांध) भी निर्मित है, बांध में क्षमता से अधिक जल ग्रहण होने की स्थिति में बांध को टूटने से बचाने के लिये उक्त Spillway का निर्माण किया जाता है/किया गया है। क्योंकि लोग इस बांध से होकर कुरडेग से कुटमकछार होते हुए छत्तीसगढ़ जाने के लिये उपयोग करते है। इसलिए पथ निर्माण विभाग द्वारा बगैर NOC लिये Spillway को ऊँचा करते हुए Hume Pipe culvert बना दिया गया, जिससे बांध में अपने क्षमता से अधिक जल का संग्रहण हो रहा है तथा बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही बांध में निर्मित चार अदद् सिंचाई Outlet को मत्स्य समिति द्वारा पूर्णतः बन्द कर मत्स्य बीज जलाशय में डाला जाता है। ऐसी स्थिति में इसके जीर्णोद्धार हेतु उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा लघु सिंचाई विभाग, पथ निर्माण विभाग, मत्स्य विभाग, आर०ई०ओ० सिमडेगा के साथ किये गये बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार कर जिला प्रशासन को समर्पित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-ता०प्र०-47/2021/ 1657 /   राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-___ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कोषांग, प्रोजेक्ट भवन, राँची/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(61·2)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स०वि०स०, द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–10 का उत्तर ।

क्र०	प्रश्न	माननीय मंत्री, अ०ज० जा०, अनु० जा०, अल्प० एवं पि० वर्ग कल्याण विभाग का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम (झरिया तथा सिंदरी अंचल) धनबाद अंतर्गत भौंरा 19 नं० मांझी बस्ती, जहाजटॉड (भौंरा) मोहलबनी मांझी बस्ती, चाँदमारी मांझी बस्ती, डिगवाडीह 10 नं० तथा गुनूडीह मांझी बस्ती में जाहेरस्थान घेराबंदी कार्य अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद का पत्रांक–116 दिनांक–05.02.2021 द्वारा भूमि सत्यापन प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, झरिया से की गई है।
	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर जाहेरस्थान घेराबंदी कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला से उक्त जाहेरस्थान घेराबंदी हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता के आलोक में घेराबंदी के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

17/03/2021

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– सं० –07/वि०स०ता०–02/2021 798   राँची, दिनांक– 17/3/21

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या–800, दिनांक– 02.03.2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/03/2021

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(613)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन कांची वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत विन्साईडीह जलवाहा का CADWM के तहत पक्कीकरण, चोगाडीह ग्रामीण नाला का पुनर्स्थापन एवं प्रस्तावित बादला ग्राम तक का कार्य प्राक्कलन के विरूद्ध किया जा रहा है,	अस्वीकारात्मक। रॉंची जिला के कॉंची सिंचाई योजनान्तर्गत नहर प्रणाली का विस्तारीकरण, मरम्मति एवं नवीकरण का कार्य CADWM के तहत् किया जा रहा है। इसी योजनान्तर्गत बराण्डा शाखा नहर के विन्साईडीह जलवाहा का पक्कीकरण एवं चोगाडीह ग्रामीण नाला तथा बदला जलवाहा का पुनर्स्थापन कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कराया जा रहा है। कार्य प्रगति में है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कार्य का जाँच किसी एजेंसी के माध्यम से कराते हुए कार्य करने वाले फार्म को काली सूची में डालने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	—

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–41/2021 – 1656 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 784 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

614

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– कृष–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता
डॉ० लम्बोदर महतो,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में निबंधित कृषकों के द्वारा उत्पादित धान का खरीद PACS/LAMPS के द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्र पर धान क्रय किया जाता है जबकि धान खरीद में कृषकों के निबंधन में भारी अनियमितता बरती गई.	किसान स्वयं ई–उपार्जन/बाजार एप के माध्यम से अपना निबंधन कर सकते हैं अथवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों के कार्यालय में पंजीकरण हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। किसानों के निबंधन हेतु समर्पित आवेदन की संबंधित अंचलाधिकारी से सत्यापन के उपरान्त ई–उपार्जन पोर्टल पर निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण होती है।
(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन के द्वारा धान अधिप्राप्ति केन्द्रों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और न ही माननीय विधायकों एवं सांसदों की अनुशंसा प्राप्त की गई जिसके कारण गोमिया प्रखण्ड के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में 25 कि०मी० की परिधि में एक भी धान क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है जबकि अन्य क्षेत्र में मात्र एक से 2 कि०मी० दूरी में धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोला गया है;	धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन विभागीय संकल्प में निहित निदेशों के आलोक में उपायुक्त, बोकारो की अध्यक्षता में जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति के द्वारा किया गया है। जिले के सभी प्रखण्डों में आवश्यकतानुसार धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोला गया है। जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति द्वारा गोमिया प्रखण्ड में दो अधिप्राप्ति केन्द्र खोलकर किसानों से धान क्रय किया जा रहा है। सभी उपायुक्तों को धान अधिप्राप्ति केन्द्र की संख्या बढ़ाने के निमित्त विभागीय पत्र संख्या–726, दिनांक 04.03.2021 प्रेषित की गई है। पुनः उपायुक्त, बोकारो को विभागीय पत्रांक 876, दिनांक 15.03.2021 द्वारा गोमिया प्रखण्ड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में नियमानुसार धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने के लिए यथोचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि धान प्राप्ति की रसीद किसानों को नहीं दी जाती है तथा सरकार द्वारा निर्धारित समय पर धान के मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है. साथ ही आदतों के नाम पर किसानों से मनमाना ढंग से अवैध धान की कटौती की जा रही है। मिलर द्वारा उठाव नहीं किये जाने के कारण धान खरीद बन्द हो चुका है;	धान अधिप्राप्ति की रसीद पैक्सों के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त धान की ऑनलाईन प्रविष्टि के समय ऑनलाईन निर्गत होता है तथा संबंधित किसान के पंजीकृत मोबाईल पर अधिप्राप्त धान की मात्रा एवं भुगतान की जानेवाली राशि की सूचना SMS के द्वारा स्वयं उपलब्ध हो जाती है। खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में किसानों से धान क्रय के साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान बैंक खाता के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है तथा अवशेष राशि अधिप्राप्त धान के मिल में पहुंचने के उपरान्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। धान क्रय केन्द्रों के द्वारा धान की जाँच विभिन्न उपकरणों यथा Moisture Meter, Analysis kit आदि के माध्यम से करते हुए धान का क्रय किया जा रहा है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने तथा राज्य में धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने में हुई अनियमितताओं की जाँच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के चतरोचट्टी क्षेत्र अन्तर्गत अब तक 100 किसान पंजीकृत हैं। सभी किसान गोमिया प्रखण्ड के गोमिया व्यापार मंडल पैक्स से सम्बद्ध हैं। चतरोचट्टी क्षेत्र के 93 किसानों ने कुल 4713.98 क्विंटल धान गोमिया व्यापार मंडल पैक्स में धान विक्रय किया है। विभागीय पत्रांक 876, दिनांक 15.03.2021 द्वारा गोमिया प्रखण्ड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में नियमानुसार धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोलने के लिए यथोचित कार्रवाई हेतु उपायुक्त, बोकारो को पुनः निर्देशित किया गया है।

16/03/2021
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 04 (वि०स०ता०प्रश्न) 20/2021 904 /राँची, दिनांक 16/03/21
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 809 दिनांक 02.03.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

(615)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–19 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018–19 में जमशेदपुर के गैर-कंपनी इलाकों में जुस्को की बिजली आपूर्ति करने के लिए जुस्को और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण सरकार के आदेश से आरंभ हुआ था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है संयुक्त सर्वेक्षण हो गया है और जुस्को जमशेदपुर के गैर-कंपनी इलाकों में बिजली की आपूर्ति करना चाहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य आंशिक रूप से हुआ है। जुस्को के द्वारा ऊर्जा विभाग को जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाकों में बिजली की आपूर्त्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बताएगी कि संयुक्त सर्वेक्षण का फलाफल क्या है, जुस्को और सरकार की इस संबंध में शर्तें क्या है और जमशेदपुर के गैर-कंपनी इलाकों में जुस्को की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य आंशिक रूप से हुआ है। जुस्को के द्वारा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित पत्रांक-PSD/PSK/41, दिनांक-05-02-2019 में जमशेदपुर के गैर कंपनी इलाकों में बिजली की आपूर्त्ति करने के प्रस्ताव के आलोक में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग से सहमति/ सुझाव लेकर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी जिसके अनुपालन में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग में जमा किया गया है तथा यह मामला लंबित है। कालांतार में ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-1934, दिनांक-30.07.2019 के द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० में पी०पी०पी०(public private partnership) मोड के द्वारा राँची एवं जमशेदपुर एरिया बोर्ड में विद्युत वितरण लाईसेंसी मॉडल लागू करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में EoI (Expression of Interest) का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 648 / दिनांक 17/3/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 22

(616)

श्री कौचे मुण्डा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–18.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–क०–05 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा संचालित झारखण्ड आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है;	अस्वीकारात्मक। विभाग अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों की सेवा बिल्कुल तत्कालिक व्यवस्था के तहत नियमित नियुक्ति होने तक सर्विस प्रोवयोरमेंट के आधार पर ली जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से जारी पत्र के आलोक में विद्यालय का शैक्षणिक कार्य एक सप्ताह में पूर्णरूपेण छः दिनों का होते हुए भी अंशकालिक शिक्षकों को मात्र पाँच दिनों का ही कार्यदिवस देकर एक दिन शिक्षण कार्य से वंचित रखा गया है;	अस्वीकारात्मक। संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 की कंडिका–7(i) में अंशकालीन शिक्षकों से सप्ताह में 05 (पाँच) कार्यदिवस एवं एक कार्यदिवस में अधिकतम 04 (चार) घंटी कार्य लेने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में ही अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में विगत पाँच वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं की गई है जिससे इनको जीवन यापन करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 जिसके आलोक में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा प्राप्त की जा रही है में एक घंटी अध्यापन कार्य के विरूद्ध ₹200.00 (दो सौ रू०) वृतिका भुगतान का प्रावधान है। अंशकालीन शिक्षकों के लिए कोई नियत मानदेय निर्धारित नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–2151, दिनांक–15.07.2015 में निरूपित नियमों एवं शर्तों के तहत अंशकालीन (घंटी आधारित) शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। उक्त संकल्प में मानदेय अथवा वृतिका में वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–04/2021–क– 708 राँची, दिनांक– 9/3/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–803, दिनांक–02.03.2021 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/21
(राज किशोर खाखा)
सरकार के अवर सचिव।

(617)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूर्व में सरकार के द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड श्री वंशीधर नगर स्थित कथवन गाँव में पावर ग्रिड निर्माण की स्वीकृति दी गई थी;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पावर ग्रिड का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थान पर स्वीकृत पावर ग्रिड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गढ़वा जिलान्तर्गत भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड श्री वंशीधर नगर स्थित कथवन गाँव में 132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण कराया जाना था, परन्तु स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध के कारण भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र में ही अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 08.01.2021 को उपायुक्त, गढ़वा से निवेदन किया गया है। इस दिशा में बशानी ग्राम में भूमि चिन्हित किया गया है। भूमि स्थानांतरण के उपरांत ग्रिड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 649 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

618

श्री नमन विक्सल कोंनगाडी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-47 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत कोलेबिरा डैम से सिंचाई करने एवं पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है साथ ही पर्यटन के लिये उपयोग होता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम का मुख्य मिट्टी के आड का कुछ हिस्सा एवं सिंचाई नहर का जो हिस्सा है, वह क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण डैम मे पानी बहुत कम रहता है तथा डैम के जर्जर हो जाने के कारण टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है ;	स्वीकारात्मक। डैम का निर्माण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। वर्तमान मे इसी जलाशय से कोलेबिरा शहर को सालो भर पेय जल की आपूर्ति की जाती है, जिस कारण गर्मी के दिनों में पहले की अपेक्षा जलाशय मे पानी कम रहता है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त डैम एवं सिंचाई नहर को अविलम्ब मरम्मत करने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नही तो क्यों?	योजना की मरम्मति हेतु प्रा०स्वी० दी गई है। नई अनुसूचित दर के पुनरीक्षण के उपरांत नियमानुसार सरकार योजना के जीर्णोद्धार का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०-51/21/ 1660 /   राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-__ दिनांक-____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(619)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सरिया में रेलवे लाईन में 33 के०भी० लाईन क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण हेतु रेलवे धनबाद को राशि हस्तांतरित करनी है; ।	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल राशि देकर अनापत्ति प्रमाण लेने का विचार रखती है, यदि तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विद्युत आपूर्ति अंचल, गिरीडीह में रेलवे लाईन के 33 के०भी० लाईन क्रॉसिंग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु रू० 52,10,324/– (रू० बावन लाख दस हजार तीन सौ चौबीस) का हस्तांतरण दिनांक-09.03.2021 को कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 656 / दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा में 80% आमजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जहाँ रबी खरीफ एवं नकदी फसल उपजायी जाती है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत चण्डीपुर जल्ला झील से लेकर तेनुआ नाला (प्राकृतिक नहर) मंगलहाट तक, हरनाडांगा नहर तथा उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत राधानगर से आतापुर–शक्रवासिनी झील–फरक्का (प० बंगाल सीमा तक) गज्जी नाला (नहर) है, जिनका चौड़ीकरण, गहरीकरण एवं पक्कीकरण नहीं होने के कारण स्थानीय कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित है, जिसके जीर्णोद्धार व निर्माण कराने हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जा चुका है,	जल संसाधन विभाग द्वारा विषयगत नाला/नहरों का निर्माण नहीं कराया गया है। राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत चण्डीपुर जल्ला झील से तेनुआ नाला मंगलहाट तक एवं हरनाडांगा नहर को आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण, गहरीकरण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। साहेबगंज प्रखंड के उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत शुक्रवासिनी झील, कोदलकट्टी नाला एवं गज्जीनाला का स्थलीय जाँच मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा गठित तकनीकी दल द्वारा की गई है। तकनीकी क्षेत्र का मंतव्य है कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तथा नाला एवं झील में साल भर पानी रहता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण दोनों नाला एवं झील के गहरीकरण के बाद भी Silt भरने की सम्भावना है तथा योजना की संभाव्यता पर संदेह व्यक्त किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित प्रखण्ड अन्तर्गत प्राकृतिक नहरों का अविलम्ब चौड़ीकरण, गहरीकरण एवं पक्कीकरण कर स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में जल संसाधन विभाग द्वारा चौड़ीकरण या गहरीकरण कार्य कराने का कार्यक्रम नहीं है। स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण तथा उस क्षेत्र के हाइड्रोलौजी का अध्ययन करने के बाद ही इसकी संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार की जा सकती है, जिसके आलोक में तकनीकी समीक्षोपरान्त तथा लाभ–लागत का आकलन कर आगे की कार्रवाई संभव होगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–32/2021 – 1724 /राँची, दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 780 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

621

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के ईटखोरी प्रखण्ड में बक्सा जलाशय डैम के कैनाल से नवादा पंचायत को नहीं जोड़ा गया है जिस कारण करीब 1000 (एक हजार) एकड़ भूमि में सिंचाई नहीं हो पा रही है.	अस्वीकारात्मक। ईटखोरी प्रखण्ड के नवादा पंचायत तक बक्सा जलाशय योजना से निःसृत नहर निर्मित है। इस पंचायत के अन्तर्गत दरियापुर, बडुवाही, कर्जौवा, नवादा, राजानरचा, खुर्दनरचा, नरचाकला तथा मंदाईन गाँवों में लगभग कुल 700 (सात सौ) एकड़ भूमि में पटवन की सुविधा दी जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवादा पंचायत तक उक्त डैम से कैनाल को विस्तारित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2016–18 में उक्त योजना के नहरों का पुनरूद्धार एवं पक्कीकरण कार्य कराया गया था। नवादा पंचायत के कुछ क्षेत्र में नहर के उपर लगे पेड़ को हटाने हेतु वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण नहर के अंतिम भाग में पुनरूद्धार कार्य नहीं कराया जा सका, फिर भी नहर के उस भाग में जलप्रवाह हो रहा है एवं किसानों को यथासंभव सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में नहर के बचे हुए अंतिम भाग में नहर के पुनरूद्धार कार्य पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–25/2021 – 1654 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 787 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

622

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्षों से गोड्डा जिले के गोड्डा प्रखंड स्थित सिंहवाहिनी के समीप वृहद चेक डैम बनाने की मांग किसानों द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला प्रशासन ने दो वर्ष पूर्व किसानों के मांग पर खण्ड–1 में वर्णित चेक डैम बनवाने का (विभाग के द्वारा) लिखित आश्वासन दिया था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है.	अस्वीकारात्मक। विभाग के द्वारा चेक डैम बनाने का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया था।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में बजट में आवंटन करते हुए सिंहवाहिनी चेकडैम बनाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त स्थल पर वीयर निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु Term of Reference (TOR) मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के यहाँ प्रक्रियागत है। वर्णित क्षेत्र में सर्वेक्षण के पश्चात् संभाव्यता होने पर बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर इसके निर्माण हेतु आगामी वर्ष में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–33/2021 – 1643 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 781 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत तिलैया डैम नहर योजना का निर्माण कार्य संयुक्त बिहार के समय से विगत् 40–वर्ष से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है.	अस्वीकारात्मक। 1. एकीकृत बिहार के समय में तिलैया ढाढर परियोजना की परिकल्पना की गयी थी। 2. झारखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात् दिनांक 22.09.2004 को अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में बिहार एवं झारखण्ड के बीच अर्न्तराज्यीय मुद्दों पर सम्पन्न बैठक में यह सहमति बनी थी कि उक्त परियोजना को संयुक्त परियोजना की सूची से हटाकर अलग करते हुए तिलैया एवं ढाढर का प्रबंधन क्रमशः झारखण्ड एवं बिहार से किया जाय।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नहर परियोजना का डी०पी०आर० बनाने का कार्य भी पूर्ण हो चुका है.	वर्ष 2015 में 40540.00 एकड़ फीट जल के लिए तिलैया सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गयी थी। वर्तमान में तिलैया जलाशय में उपलब्ध जल को देखते हुए पाईप लाईन द्वारा तिलैया मेगा लिफ्ट सिंचाई की परिकल्पना की गयी है। इसके लिये सर्वेक्षण कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिये परामर्शी का चयन किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में तिलैया डैम नहर योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	इसका DPR तैयार कराकर उपलब्ध बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के आलोक में इसकी स्वीकृति प्रदान कर इसका कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–36/2021 – 1627 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 778 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(624)

माननीय स0वि0स0 श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–31 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले में सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु पलामू पाईप लाईन योजना प्रस्तावित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पाईप लाईन योजना अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के देवरी ग्राम में सोन नदी से विश्रामपुर प्रखण्ड के पंजरी ग्राम में कोयल नदी से तथा मेदिनीनगर प्रखण्ड के केचकी ग्राम में औरंगा नदी से जल का उठाव कर तालाब, आहर व अन्य रिजरवायर में पानी भरकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पलामू पाईपलाईन योजना अंतर्गत देवरी ग्राम में सोन नदी से पानी का उठाव कर जहाँ छत्तरपुर, नावा बाजार, विश्रामपुर, पड़वा व पाटन प्रखण्ड में सिंचाई क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है, वहीं हुसैनाबाद, हैदरनगर व मोहम्मदगंज प्रखण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है;	स्वीकारात्मक। पलामू पाईपलाईन योजना अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सम्मिलित है, परन्तु हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रस्तावित पलामू पाईप लाईन योजना अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड के देवरी ग्राम में सोन नदी से हो रहे जल उठाव से हुसैनाबाद, हैदरनगर व मोहम्मदगंज प्रखण्ड की भूमि को सिंचित करने हेतु खण्ड–1 में वर्णित प्रस्ताव में प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	पलामू पाईपलाईन योजना के डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रस्ताव को जोड़ने हेतु पुनः सर्वेक्षण आदि कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में माननीय विधायक हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से यथोचित सुविचारित प्रस्ताव की मांग की गयी है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही यथावश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1563 राँची, दिनांक– 15/3/21

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–782, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

डॉ० इरफान अंसारी, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-10 का उत्तर प्रतिवेदन।

623

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत कर्माटांड़ प्रखंड के महेशपुर, नारायणपुर प्रखंड के बोरवा, काली पहाड़ी एवं लक्ष्मीपुर तथा जामताड़ा प्रखंड के बेवा में चेकडैम नही रहने के कारण किसानो को सिंचाई हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामों में जोरिया है एव बरसात का पानी जोरिया मे बह जाता है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों में अवस्थित जोरिया पर बड़ा चेकडैम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत तकनीकी संभाव्यता पाये जाने पर समुचित प्रकार के संरचना का प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। तत्पश्चात् बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता तथा क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए आगामी वर्षों मे सरकार योजना के निमार्ण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–28/2021/ 1647 /   राँची, दिनांक– 16/03/2021

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक– दिनांक– के प्रसंग मे अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

626

डॉ इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ इरफान अंसारी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के बिजली उपभोक्ताओं को नये ट्रांसफार्मर लाने के लिए दुमका TRW जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा से दुमका की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, फलस्वरूप उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर लाने ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। दुमका TRW जामा में स्थित है एवं जामताड़ा से उसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जामताड़ा में शीघ्र TRW स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों	जामताड़ा विद्युत TRW का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य में वायरिंग एवं सीट बेंबर का कार्य कराना बाकी है। उक्त कार्य को पूर्ण कर चालू करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में रखा गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 603 / दिनांक 12/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

627

श्री निरल पूर्ति, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मंझगाँव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुमारडुंगी प्रखण्ड में अवस्थित कुमिरता एवं आमदा बांध एवं नहर की स्थिति अत्यंत जर्जर है ;	स्वीकारात्मक। आमदा बांध जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि कुमिरता एवं आमदा बांध एवं नहर का जलस्तर नीचे रहता जिससे वहाँ सिंचाई में काफी परेशानी होती है ;	स्वीकारात्मक। कुमरिता बांध योजना के नहर में Silt जमाव के कारण पूरी क्षमता से जल प्रवाहित नहीं हो रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कुमिरता एवं आमदा बांध एवं नहर का जीर्णोद्धार एवं जलस्तर बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कुमरिता बांध के जीर्णोद्धार हेतु सर्वेक्षणोपरांत प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता के आधार पर विभाग योजना के निर्माण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०-24/21/ 1649 / राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-__ दिनांक-___ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(629)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा०–21 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला अन्तर्गत कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है, जिसे पूर्ण दिखाया गया है तथा वर्तमान में 6 महीनों से कार्य बंद है;	अस्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला के अन्तर्गत कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् किया जा रहा है। कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 201 गाँव है जिसमें 137 गाँव को टोला सहित पूर्ण रूप से विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष 64 गाँवो के बचे हुए टोलो में कार्य प्रगति पर है जिसे 30 जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
2. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा के कोलेबिरा में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पैस पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एवं गोपी कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धीमी गति से कराया जा रहा है;	दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण कार्य करने में कठिनाई हो रही है, तथापि इसे निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन लापरवाह कम्पनियों को काली सूची में डालते हुए इनके भुगतान पर रोक लगा कर अन्य कम्पनियों से काम करा कर कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 652 /   दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

630

श्री निरल पूर्ति, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूमि जिलान्तर्गत मंझगाँव प्रखंड बेलमा सिंचाई एवं नहर अत्यंत दयनीय स्थिति में है :	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बेलमा सिंचाई एवं नहर दयनीय होने के कारण आस–पड़ोस के गाँव सिंचाई से वंचित हो रहे है :	अस्वीकारात्मक। योजना के कमाण्ड क्षेत्र में 9 अदद् तालाब अवस्थित है जिनमें खरीफ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 01 में वर्णित सिंचाई नहरों का जीर्णोद्धार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	सम्प्रति झारखंड में अनुसूचित दर के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नये अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरांत सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए सरकार योजना निर्माण कराने का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारां०–23/21/ 1650 /   राँची, दिनांक–16/03/2021

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–__ दिनांक–____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(631)

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.21 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखंड के हरातु ग्राम में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ववर्ती बिहार मे सन् 1990 मे डैम एवं कच्चा कैनाल लगभग 2 कि०मी० का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे है ;	स्वीकारात्मक। हरातु मध्यम सिंचाई योजना जिसकी बांध की लम्बाई 380 मी० कैनाल की लम्बाई 1340मी० है से सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी वर्तमान मे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित डैम एवं कैनाल से उक्त क्षेत्र के करीब 2000 एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होती थी, जो अब बाधित है ;	स्वीकारात्मक। योजना से मात्र लगभग 140 हे० खरीफ, 72 हे० रब्बी, कुल 212 हे० क्षेत्र मे सिंचाई दी जाती थी।
3	क्या यह बात सही है कि खंड–1 वर्णित डैम एवं कैनाल का जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन एंव अभिलेख भी विभाग को भेजा गया है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 मे वर्णित डैम का जीर्णोद्धार एवं ध्वस्त कैनाल को पक्का कैनाल बनाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	हरातु मध्यम सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कर बांध तथा नहर के जीर्णोद्धार का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य मे सम्प्रति अनुसूचित दर के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नये अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरांत योजना के प्राक्कलन को अंतिम रूप देते हुए बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए आगामी वर्षो मे सरकार योजना के निर्माण का विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारा०–39/2021/ 1562 / राँची, दिनांक– 15/3/21

प्रतिलिपि :–(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–___ दिनांक–___ के प्रसंग मे अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-01 का उत्तर प्रतिवेदन।

632

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो अंतर्गत चास प्रखंड के कालापत्थर पंचायत के ग्राम कालापत्थर में लगभग 28 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित बड़ा बांध के जीर्णोद्धार की 10 वर्षों से मांग की जा रही है, जिसके आलोक में माइनर इरिगेशन डिविजन, बोकारो ने दिनांक-14.10.2019 को इस कालापत्थर बड़ा बांध के जीर्णोद्धार हेतु निविदा प्रकाशित की है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में अभी तक उक्त कालापत्थर बड़ा बांध का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि कालापत्थर बड़ा बांध के निर्माण काल के बाद इसकी सफाई न होने से इसमें काफी गाद जमा हो गया है और इससे इसके जल संचय की क्षमता घट गई है, जिससे वर्षों पूर्व इस बांध से सैकड़ों एकड़ सिंचित होने वाली जमीनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वर्तमान में किसान निर्धारित सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में कालापत्थर और इसके आस-पास के क्षेत्रों की जनता की सुविधा हेतु उक्त कालापत्थर बड़ा बांध का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	कालापत्थर बड़ा बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राज्य में अनुसूचित दर के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नये अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरांत योजना का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां0-01/2021/ 1640 /   राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-__ दिनांक-____ के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

माननीय स0वि0स0 श्री रामचंद्र चन्द्रवंशी द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ज0–13 का उत्तर प्रतिवेदन :

633

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत पच धारा के निकट भेलवा नदी पर डैम, नहर तथा छीपादोहर के पास खूंटीसोत नदी के ऊपर डैम एवं नहर बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में दी गई है;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत नदियों पर सिंचाई योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017–18 में दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों सिंचाई योजना के निर्माण हेतु सरकार द्वारा सर्वे भी कराया गया है। परंतु कार्य प्रारंभ नहीं होने से जनता में आक्रोश है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त दोनों योजनाओं का डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य केंद्रीय जल आयोग, उत्तर पूर्वी अन्वेषण परिमंडल–1, सिलचर को आवंटित है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा उक्त डी०पी०आर० को मार्च, 2021 तक समर्पित करने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। डी०पी०आर० का कार्य पूर्ण होने के बाद लाभ लागत एवं क्षेत्रीय संतुलन के अनुरूप बजट उपलब्धता के आलोक में योजना का निर्माण कार्य से संबंधित आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1566 रांची, दिनांक–15/03/2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा रांची को उनके ज्ञापांक सं0–793, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अभियंता प्रमुख– I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, रांची

(634)

श्री मनीष जायसवाल, स०वि०स० द्वारा दिनांक –18.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं० –क–11 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 अन्तर्गत दिसम्बर 2005 से पूर्व वन क्षेत्र में रह रहे या जंगल की जमीन के सहारे अपनी आजीविका अर्जित कर रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को वन पट्टा देने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय–1 की कंडिका 2 (म) के अनुसार "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर है और इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अधिनियम अन्तर्गत वैसी सभी जाति भी उक्त पट्टा के हकदार होंगे जिनकी तीन पीढ़ी करीब यानि 75 वर्षों से वन क्षेत्र में रह रहे हो उन्हें अपनी आवासन का प्रमाण किसी सरकारी दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है ;	स्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अध्याय–1 की कंडिका 2 (ण) के अनुसार " अन्य परम्परागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है। "पीढ़ी" से पच्चीस वर्ष की अवधि अभिप्रेत है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित जाति के लोगों के लिए तीन पीढ़ी के आवासन का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराना मुश्किल है ;	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम–12 के तहत वनाधिकारी समिति द्वारा दावों का सत्यापन करने की प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा नियम–13 में वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य के रूप में अनेक दस्तावेजों का उल्लेख है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहितमें खण्ड–02 में वर्णित जाति को भी खण्ड–01 में वर्णित जाति के समान शर्तों पर वन पट्टा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चूंकि यह अधिनियम भारत सरकार का है, अतः इसके शर्तों में संशोधन भारत सरकार के स्तर से संभव है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 03/वि०स०तारा०–02/21 741   रांची, दिनांक– 12/3/21

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०– 799, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 12/03/21

(वन्दना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

(635)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-06 का प्रश्नोत्तरः-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः-

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	
1.	क्या यह बात सही है कि वर्षों से हस्तकरघा एवं उपकरण योजना के अंतर्गत राज्य के बुनकरों को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता रहा है ;	अस्वीकारात्मक। हस्तकरघा एवं उपकरण योजना संचालित नहीं है एवं इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत कुछ वर्षों से उपर्युक्त अनुदान नहीं दिया जा रहा है ;	कंडिका-1 का उत्तर द्रष्टव्य।
3.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त मद में आवंटन दिए जाने के बाद भी विभाग द्वारा यह अनुदान नहीं दिया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार राज्य में बुनकरों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हस्तकरघा एवं उपकरण योजना के अन्तर्गत अनुदान देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त के क्रम में अप्रासंगिक।

ह0/-

(बन्द्र भूषण)

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-05/2021 363 /राँची, दिनांक-16.03.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-811 दि0स0 दिनांक-02.03.2021 के क्रम में 250 चत्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०-ज०-50 का उत्तर प्रतिवेदन। (636)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचमंदिर तालाब का जीर्णोद्धार पिछले 20 वर्षों से नहीं किया गया है, जिसके कारण स्थानीय कृषकों को सिंचाई कार्य में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है ;	अस्वीकरात्मक। पंचमंदिर तालाब से वर्तमान में 15 हे० खरीफ सिंचाई सुविधा ग्रामीणों द्वारा ली जा रही है। गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत राय आहर, हरनासिधा आहर, मलवा आहर, राजगढ़ बड़का आहर का जीर्णोद्धार एवं विरुमाहु नाला तथा पुरैता नाला पर चेकडैम निर्माण कर कुल 248 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड-1 में उल्लिखित तालाब का जीर्णोद्धार के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह के पत्रांक-836, दिनांक-28.06.2019 के क्रमांक संख्या-5 में 71,27,600/- (एकहत्तर लाख सताईस हजार छः सौ) रू० का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है ;	स्वीकरात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खंड-3 में उल्लिखित तालाब का प्राक्कलन की अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है ;	स्वीकरात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पंचमंदिर तालाब, जमुआ के जीर्णोद्धार की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए निविदा प्रकाशित कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में अनुसूचित दर के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नये अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरान्त प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर बजटीय उपबंध, निधि की उपलब्धता तथा क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए सरकार योजना के पुर्नस्थापन कार्य कराने पर विचार रखती है।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारां०-57/21/ 1646 /   राँची, दिनांक- 16/03/21

प्रतिलिपि :-(1) उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-1222 दिनांक-11.03.21 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय कॉके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2021

सरकार के अवर सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची।

637

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-16 का प्रश्नोत्तरः-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः-

क्र.	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के तमाड़ प्रखण्ड अन्तर्गत भुँइयाडीह सब्जी का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है यहाँ से प्रत्येक दिन राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर सब्जियाँ भेजी जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि भुँइयाडीह क्षेत्र के बहुत सारे कृषक सब्जी के उत्पादन एवं बिक्री से ही अपना जीवन-यापन करते हैं, परन्तु सब्जियों के रख-रखाव हेतु भुँइयाडीह में एक भी कोल्ड-स्टोरेज नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तथापि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में तमाड़ प्रखण्ड अंतर्गत मलहान भुँइयाडीह में कोल्ड रूम का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल-1 राँची द्वारा किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार राँची जिले के तमाड़ प्रखण्ड के भुँइयाडीह में कृषकों के हित में कोल्ड-स्टोरेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 मे०टन क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसके अंतर्गत राँची जिला के मान्डर प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा रहा है।

ह0/-
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-06/2021 364 /राँची, दिनांक-16.03.2021

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-806 वि0स0 दिनांक-02.03.2021 के क्रम में 250 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.2021

सरकार के अवर सचिव।

638

श्री राज सिन्हा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में डैम, नदियों के सीमांकन का काम किया जा चुका है,	डैम एवं नदियों का सीमांकन नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों, हिस्सों में डैम नदी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है,	स्वीकारात्मक। कहीं–कहीं अतिक्रमण हुआ है।
3.	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची में स्थित कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूद डैम के भू–भाग पर अतिक्रमण किया गया है और जमीन माफियाओं ने लोगों को धोखे में रखकर जमीन बेची है,	स्वीकारात्मक। डैम के डूब क्षेत्र की सीमा की मापी की जा रही है। कहीं–कहीं अर्जित भूमि का अतिक्रमण पाया गया है।
4.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त डैमों का सीमांकन नहीं किये जाने के कारण जमीन माफिया की दखलंदाजी बढ़ी है और भू–माफिया खाली पड़ी जगहों पर और ग्रीनलैण्ड में घर, अपार्टमेंट बना कर लाभ उठा रहे है,	स्वीकारात्मक। डैम के डूब क्षेत्र का जहाँ सीमांकन नहीं हुआ है, वैसे भाग में कहीं–कहीं अतिक्रमण की घटना हुई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मापी करायी जा रही है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी डैमों का सीमांकन करके उसे अतिक्रमणमुक्त करने और जमीन माफियाओं को चिन्हित करने के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन की जबावदेही तय करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	1. डैमों के डूब क्षेत्र का सीमांकण एवं पीलरींग कार्य करने का प्रस्ताव है। 2. अतिक्रमण को चिन्हित कर इसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 8/ज०स०वि०–20–तारां०–44/2021 – 1326 /राँची, दिनांक 17/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 939 वि०स० दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(639)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या जा–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो स्थित फूदनीडीह पावर सब स्टेशन तथा पिण्डराजोड़ा पावर सब स्टेशन और चौरा पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है, जिससे जनता को उक्त तीनों पावर सब स्टेशन का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है;	33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र फुदनीडीह को ऊर्जान्वित करने के लिए DVC के साथ एकरारनामा करने की प्रकिया चल रही है। 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र पिण्ड्राजोरा एवं चौरा नारायणपुर में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र बनकर तैयार है। इन दोनों का 33 के०भी० लाईन का कार्य भी पूरा हो चुका है, जो बरमसिया ग्रिड (चन्दनक्यारी) से जोड़ा जाना है।
2. क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ पावर ग्रिड और बरमसिया (चंदनकियारी) पावर ग्रिड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको प्रारंभ नहीं किया गया है, जिससे उक्त दोनों पावर ग्रिड का समुचित लाभ जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है;	बोकारो जिला के बरमसिया (चन्दनक्यारी) में 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस ग्रिड को गोविन्दपुर ग्रिड एवं जैनामोड़ ग्रिड से ऊर्जान्वित किया जाना है। (i) जैनामोड़ ग्रिड सब-स्टेशन तथा तेनुघाट-गोविन्दपुर लिलो लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जैनामोड़ ग्रिड निर्माण के उपरांत चंदनक्यारी ग्रिड को अगले 06 माह में ऊर्जान्वित कर दिया जायेगा। (ii) गोविन्दपुर ग्रिड ऊर्जान्वित है, परन्तु इस ग्रिड से चंदनक्यारी ग्रिड को जोड़ने वाली संचरण लाईन के निर्माण के दौरान SAIL का खनन क्षेत्र पड़ने के कारण रूट डायवर्ट किया गया, जिसके कारण लाईन का कुछ हिस्सा 28 टावर पुरुलिया जिला (पश्चिम बंगाल) के गोबाग्राम एवं ईचार ग्राम से होकर गुजरना है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार से NOC दिनांक 03.12.2020 को प्राप्त हो चुकी है। सर्वे का कार्य जारी है एवं पूरा होते ही निमार्ण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। जैनामोड़ ग्रिड से चन्दनक्यारी (बरमसिया) ग्रिड को जोड़ने वाली संचरण लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जैनामोड़ ग्रिड के ऊर्जान्वयन के उपरांत चन्दनक्यारी (बरमसिया) ग्रिड को ऊर्जान्वित किया जा सकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त तीनों पावर सब स्टेशन और दोनों पावर ग्रिड को शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उक्त तीनों विद्युत शक्ति उपकेन्द्र उपर्युक्त खण्ड-1 एवं 2 से वर्णित कार्य होते ही ऊर्जान्वित हो जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 665 / दिनांक 12/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/21

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2021\Answer Docs 2

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०—08 का उत्तर प्रतिवेदन :—

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोनार सिंचाई योजना के तहत कोनार से लेकर बगोदर तक मुख्य नहर बन कर तैयार है, जबकि रेलवे लाइन क्रासिंक का कार्य अधुरा है.	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुख्य नहर में बगोदर तक पानी छोड़ने एवं रेलवे लाइन में टनल का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	बगोदर शाखा नहर के कि०मी० 20.800 एवं चिचाकी–करमाबाद रेलवे लाईन के क्रासिंग पर एक्वाडक्ट संरचना के निर्माण की आवश्यकता है। उक्त संरचना के निर्माण करने का विचार है। पर्याप्त बजट उपबंध होने पर अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे से अनापत्ति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–20–तारां०–27/2021 – 1651 /राँची, दिनांक 16/03/2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 785 वि०स० दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।